नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर–6, नौएडा

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 05.12.2022 को नौएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया श्रीमती रितु माहेश्वरी द्वारा नौएडा प्राधिकरण के विकास कार्यों की निविदा स्थिति, प्रगतिरत विकास कार्यों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं, ऑपरेशन कायाकल्प, तालाबों का जीर्णोद्धार, नये सैक्टरों के विकास एवं स्वच्छ सर्वेक्षण–2022 के दृष्टिगत शहर के अनुरक्षण कार्यों इत्यादि की समीक्षा बैठक ली गई।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण–2022 के दृष्टिगत शहर की सभी सड़कें, फुटपाथ, सैन्ट्रल वर्ज, रेलिंग, पेन्टिंग इत्यादि कार्य 20 दिसम्बर 2022 तक भलीभांति अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कहीं भी फुटपाथ/सैन्ट्रल वर्ज की टाईल न उखड़ी हुई हो।

जगह–जगह लगे दिशा–सूचक बोर्ड, दीवारों पर अनाधिकृत रूप से लगाये गये पोस्टरों को हटवाना सुनिश्चित करें तथा उन पर पेन्टिंग कराकर सौन्दर्यीकृत कराया जाये। स्वच्छ सर्वेक्षण–2022 में उत्तम प्रदर्शन किये जाने के दृष्टिगत सभी मानकों के अनुसार शहर भर में अनुरक्षण कार्य युद्धस्तर पर कराते हुए पूर्ण कराया जाये।

जगह–जगह खाली पड़े भूखण्डों एवं सड़कों पर जंगल–झाड़ियों की सफाई सिविल अभियन्त्रण एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा परस्पर समन्वय करते हुए कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं की समीक्षा के दौरान निम्नानुसार निर्देश दिये गयेः–

ऑपरेशन कायाकल्पः–

ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत राजकीय स्कूलों के जीर्णोद्धार हेतु चिन्हित कुल 73 स्कूलों में से अभी तक 71 स्कूलों में विभिन्न 18 मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी हैं तथा 2 स्कूलों हेतु आगणन स्वीकृति प्रक्रिया में है। इस सम्बन्ध में सभी वर्क सर्किलों को निर्देशित किया गया कि कार्य कराये जाने हेतु चिन्हित स्कूलों में करायी जाने वाली पेन्टिंग सभी स्कूलों में एकसमान होनी चाहिये।

तालाबों का जीर्णोद्धारः–

शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में नौएडा के विभिन्न 14 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है, जिसके सम्बन्ध में उक्त तालाबों का अनुरक्षण/जीर्णोद्धार सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रारम्भ कराया जाये। उपरोक्त 14 तालाबों के अतिरिक्त जिन तालाबों की भूमि प्राधिकरण के कब्जे में हैं, उनमें सभी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए शीघ्र

कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिन तालाबों की भूमि प्राधिकरण के कब्जे में नहीं है अथवा जिन भूमि पर निर्माण हो चुका है, उनके सापेक्ष अन्यत्र भूमि की शिफ्टिंग/उपलब्ध कराने हेतु नियोजन एवं भूलेख विभाग से समन्वय करने हेतु निर्देशित किया गया।

महत्वपूर्ण परियोजनायें:–

नौएडा के निवासियों को विभिन्न उच्चस्तरीय अवस्थापना सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से नौएडा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है यथा– एक्सप्रेस–वे के 2 स्थानों पर अण्डरपास का निर्माण, भंगेल एलिवेटेड रोड, चिल्ला एलिवेटेड रोड, पर्थला फ्लाईओवर, गोल्फ कोर्स इत्यादि को समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापरक रूप से सम्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

एम.पी.–3 मार्ग पर पर्थला चौक पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के कार्य हेतु ट्रैफिक के डायवर्जन हेतु पुलिस उपायुक्त (यातायात) से समन्वय स्थापित कर यथावश्यक ट्रैफिक डायवर्जन कराया जाये, ताकि जनमानस को कोई समस्या न हो।

चिल्ला एलिवेटेड रोड निर्माण परियोजना हेतु सेतु निगम से प्राप्त पुनरीक्षित आगणन का परीक्षण टी.ए.सी. से कराकर शीघ्र आई.आई.टी., दिल्ली को परीक्षण हेतु भिजवाई जाये। ताकि शीघ्रातिशीघ्र उक्त परियोजना को स्वीकृति उपरान्त कार्य प्रारम्भ कराया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आगामी बोर्ड बैठक में संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

सैक्टर–151ए में निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स परियोजना हेतु आवश्यक अवशेष भूमि के अधिग्रहण हेतु भूलेख विभाग एवं अभियन्त्रण विभाग दोनों परसम्पर समन्वय करते हुए भूमि का विवाद का निराकरण कराया जाये।

वेन्डिंग जोन:–

शहर में अवैध वेन्डर्स पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध वेन्डर्स द्वारा किये गये अतिक्रमण को नियमित रूप से हटवाना सुनिश्चित करें तथा वैध एवं सूचीबद्ध वेन्डर्स को उन्हें आवंटित चिन्हित वेन्डर्स जोन में शिफ्ट किया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि नो–वेन्डर्स जोन में कोई भी वेन्डर अनाधिकृत रूप से वेन्डिंग न करें।

5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड:–

नौएडा के ग्रामवासियों को 5 प्रतिशत आबादी भूखण्डों का लाभ प्रदान करने के दृष्टिगत नियोजन विभाग द्वारा चिन्हित भूमि का सर्वे कराते हुए अवशेष सर्वे रिपोर्ट एक सप्ताह में नियोजन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त 5 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के अतिरिक्त अन्य भू–उपयोगों यथा– आवासीय, औद्योगिक, संस्थागत, वाणिज्यिक इत्यादि भू–उपयोगों के खाली भूखण्डों का भी सर्वे कराते हुए विवरण उपलब्ध कराया जाये।

विकास कार्यों के निविदाओं/आगणन की स्थिति की समीक्षा के दौरान कुछ वर्क सर्किलों की प्रगति संतोषजनक न पाये जाने के दृष्टिगत वर्क सर्किल–5 के वरिष्ठ प्रबन्धक को प्रतिकूल प्रविष्टि देने हेतु तथा वर्क सर्किल–4,6,8 के वरिष्ठ प्रबन्धकों को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त सभी वरिष्ठ प्रबन्धकों को 31 दिसम्बर तक सभी सामान्य कार्यों की लम्बित निविदायें निस्तारित कर कार्य अवार्ड करने हेतु निर्देशित किया गया।